FORM-II

(for projects other than.linear projects)

Government of Uttar Pradesh

Office of the District Collector

Sonbhadra

****

No. ....

Dated 10/02/2017

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98 – FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non – forest purposes, it is certified that 586.178 hectares (in village(s) Kota-465.102 ha., Padrach-51.06 ha. & Panari-70.012 ha.) of forest land proposed to be diverted in favour of Jayprakash Associates Ltd. (name of user agency) for JP Super Cement Plant, Township, and it's Mines (purpose for diversion of forest land) falls within jurisdiction of Kota, Padrach & Panari village(s) in in Tahsil. Robertsganj in District- Sonbhadra.

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 586.178 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee are enclosed as annexure 01 to annexure 03.

(b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implication, in vernacular / local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest- dwellers, who eligible under the FRA;

(c) The each of concerned Gram Sabha(s), has certified that all formalities / processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the Gram Sabha of Kota, Padrach & Panari village(s) is enclosed as annexure .... to annexure ....

(d) The discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;

(e) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(f) the rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA.

Encls. : As above.

10/02/2017

Signature

(Full name and official seal of District Collector)

जिलाधिकारी

सोनभद्र

जिला स्तरीय समिति का कार्यवृत्त

आज दिनांक 10/02/2017 को वनाधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति () की बैठक आहुत की गयी ।

उक्त समिति में डाला सीमेन्ट फैक्ट्री (जय प्रकाश एसोसिएटस लि0) द्वारा ग्राम कोटा में 465.102 हे0 ग्राम पनारी में 70.012 हे0 एवं ग्राम पडरछ में 51.064 हे0 (कुल आवेदित रकवा 586.178 हे0) परगना अगोरी , तहसील सदर, जिला सोनभद्र में आवेदित वन भुमि के हस्तानन्तरण के प्रस्ताव पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) वानाधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के अनुसार अनुसूचित जनजाति व अन्य परम्परागत निवासियों के अधिकार तथा उनके दावों के निस्तारण के सम्बन्ध में सम्बन्धित ग्राम समितियों/ग्राम पंचायतों एवं उप खण्ड स्तरीय द्वारा लियें गये निर्णय पर विचार किया गया।

समितियों के निर्णय के अनुसार उक्त वन भुमि पर अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परम्परागत वन निवासियों का कोई कब्जा/पटटा नही है तथा उनके अधिकार सम्बन्धित कोई भी प्रस्ताव/दावा लम्बित नही है।

अतः समिति द्वारा ग्राम कोटा (465.102हे0), ग्राम पनारी (70.012) एवं ग्राम पडरछ (51.064 हे0) कुल प्रस्तावित 586.178 हे0 वन भुमि को जय प्रकाश एसोसिएटस लि0 द्वारा सीमेन्ट उत्पादन हेतु खनन कार्यो एवं जेपी सुपर सीमेन्ट प्लान्ट की स्थापना हेतु हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय पर इस समिति को कोई आपत्ति नही है। अतः यह समिति सर्वसम्मति से प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त करती है।

संलग्नक :- ग्राम सभा समितियों के द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव की प्रतियाँ।

10/02/17 जिला समाज कल्याण अधिकारी सोनभद्र। जिला समाज कल्याण अधिकारी सोनभद्र	10.2.17 प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा सोनभद्र।	10/02 जिलाधिकारी सोनभद्र। जिलाधिकारी सोनभद्र

उप खण्ड स्तरीय समिति का कार्यवृत्त

आज दिनांक 09/02/2017 को वनाधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के अन्तर्गत उप खण्ड स्तरीय समिति (Sub Divisional Level Committe)की बैठक आहूत की गयी ।

उक्त बैठक में डाला सीमेन्ट फैक्ट्री (जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड) द्वारा ग्राम कोटा में (465. 102हे0, ग्राम पनारी में 70.012 हे0 एवं ग्राम पडरछ में 51.064 हे0 (कुल आवेदित रकवा 586. 178 हे0) परगना अगोरी, तहसील सदर, जिला सोनभद्र में आवेदित वन भूमि के हस्तानान्तरण के प्रस्ताव पर अधिसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) वनाधिकार अधिनिमय 2006 के प्राविधानों के अनुसार अनुसूचित जनजाति व अन्य परम्परागत निवासियों के अधिकार तथा उनके दावों के निस्तारण के सम्बन्ध में सम्बन्धित ग्राम समितियों/ग्राम पंचायतों की बैठक में लिये गये निर्णय पर विचार किया गया ।

ग्राम समितियों के निर्णय के अनुसार उक्त वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परम्परागत वन निवासियों का कोई कब्जा/पट्टा नहीं है तथा उनके अधिकार सम्बन्धित कोई भी प्रस्ताव/दावा लंम्बित नहीं है ।

अतः ग्राम समितियों द्वारा प्रस्तावित 586.178 हे0 वन भूमि को जयप्रकाश एसोसिएट्स लि0 द्वारा सीमेन्ट उत्पादन हेतु खनन कार्यों एवं जेपी सुपर सीमेन्ट प्लान्ट की स्थापना हेतु हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय पर इस समिति को कोई आपत्ति नहीं है अतः यह समिति सर्वसम्मति से प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त करते हुये प्रस्ताव को जो कि इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है को अग्रिम कार्यवाही हेतु जिला स्तरीय समिति को प्रेषित करती है ।

संलग्नक– ग्राम सभा समितियों के द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव की प्रतियाँ।

9-2-017	9/2/17 (सजन्त कान्त मिश्रा)	9/2/2017
सहायक विकास अधिकारी	उप प्रभागीय वनाधिकारी	उप जिलाधिकारी
सोनभद्र	ओबरा, सोनभद्र	सदर, सोनभद्र
(नाम मुहर सहित हस्ताक्षर)	(नाम मुहर सहित हस्ताक्षर)	(नाम मुहर सहित हस्ताक्षर)